2. उद्यमियों की भागीदारी के साथ प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों में नारियल पवलियनों की स्थापना

बोर्ड नारियल उत्पादों के निदर्शन के ज़रिए बाजार विकास की संभावना वाले राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों में भाग लेने की पहल करेगा और उद्यमियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा। नाविबो निम्नलिखित खर्चों के लिए सहायता प्रदान करेगा, बशर्ते कि निर्दिष्ट शर्तें और सीमाएँ पूरी की जाती हों;

क. व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बाजार संवर्धन कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्रता:

1. कंपनी के पास *वैध उद्योग पंजीकरण/उद्योग आधार* होना चाहिए।
2. *खाद्य नारियल उत्पादों के मामले में* कंपनी के पास *वैध एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकरण* होना चाहिए।
3. कंपनी को *उत्पादन का कम से कम एक वर्ष* पूरा करना चाहिए।
4. बीआईएस एगमार्क/आईएसओ जैसे गुणवत्ता प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाता है।
5. व्यापार मेला/प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का आयोजन होना चाहिए।
6. इस मेले में भाग लेने के लिए कंपनी किसी अन्य एजेंसी से सहायता नहीं लें।

ख. सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

1. व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए प्रस्ताव *नाविबो वेबसाइट में व्यापार मेलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए प्रत्येक व्यापार मेले/प्रदर्शनी के आवेदन प्रारूप* में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक मेले के लिए पंजीकरण लिंक सुविधादाता एजेंसियों से अंतिम पुष्टि प्राप्त होने पर पोर्टल में खोला जाएगा।
2. आवेदक को *पोर्टल पर* उद्योग पंजीकरण, एफएसएसएआई पंजीकरण, उत्पादन विवरण आदि दस्तावेजों की प्रतिलिपियां *अपलोड* करनी चाहिए।
3. किसी भी व्यापार मेले में *प्रत्येक कंपनी* के अधिकतम *दो प्रतिनिधियों* को सहायता प्रदान की जाएगी।
4. एक कंपनी को वर्ष में केवल दो आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ग. योजना के तहत प्रस्तावित वित्तीय सहायता

नाविबो निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन निम्नलिखित खर्चों के लिए सहायता प्रदान करेगा।

मद	प्रस्तावित सहायता
यात्रा सहायता	2 व्यक्तियों/इकाई के लिए इकॉनमी उड़ान शुल्क (आना-जाना) अधिकतम 40,000 रुपए प्रति इकाई सहायता के रूप में
उत्पाद लाने के लिए परिवहन प्रभार	सहायता के रूप में प्रति इकाई मात्र 5000 रुपए की समेकित राशि
आवास सहायता	सहायता राशि 1500 रुपए प्रति इकाई प्रति दिन

स्थान किराये में सहायता	सहायता के रूप में स्थान की लागत का 50%, प्रति कंपनी अधिकतम 50,000 रुपए या वास्तविक, जो भी कम हो। वित्तीय सहायता अधिकतम 9 वर्ग मीटर आकार के बूथ/स्टॉल या कार्यक्रम के आयोजक द्वारा प्रदत्त न्यूनतम बूथ/स्टॉल आकार तक सीमित होगी। (जब नाविबो स्थान समर्थन प्रदान कर रहा हो तो यह लागू नहीं होता)।
दैनिक भत्ता	सहायता राशि 450 रुपए प्रति इकाई प्रति दिन
प्रचार सामग्री जैसे ब्रोशर, फ्लेक्स और पुस्तिका आदि का मुद्रण	सहायता के रूप में वास्तविक लागत का 50%, अधिकतम 5000 रुपए प्रति कंपनी

घ. दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रतिपूर्ति के लिए दावा कार्यक्रम की समाप्ति के *30 दिनों के भीतर* प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यात्रा, आवास और स्थान किराये के व्यय की सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
2. दावे के साथ कार्यक्रम में प्राप्त बाजार पहुंच, प्राप्त पूछताछ और पहचाने गए बाजारों का ब्यौरा सहित *भागीदारी की रिपोर्ट* एवं भागीदारी की तस्वीरें प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. भरे गए मूल्यांकन प्रारूप भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित मानदंडों का उद्देश्य नारियल उत्पादों के लिए बाजार विकास और बाजार संवर्धन गतिविधियों को तेज करना है। भारत में नारियल उत्पादों के लिए कार्यक्रम और कार्यक्रम स्थल उत्पादों के आधार पर अलग-अलग होंगे क्योंकि नारियल उत्पादों में खाद्य, पेय और गैर-खाद्य क्षेत्र के उत्पाद भी शामिल हैं। उद्यमियों को नाविबो की भागीदारी के साथ या उसके बिना भी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सहायता केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाएगी और वह भी दावे के समर्थन में प्रस्तुत बिलों/वाउचरों के सत्यापन के बाद। सभी दावों को इनवॉइस के मुकाबले भुगतान के सबूत द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। किसी भी झूठे दावे के दर्ज होने की स्थिति में बोर्ड आवेदक को दी गई राशि को लागू ब्याज सहित वापस लेने का अधिकार रखता है।

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची – देशीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियां
1. उद्योग पंजीकरण / उद्योग आधार / नाविबो पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. गुणवत्ता प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि, यदि कोई हो तो (जैसे कि एफएसएसएआई/ बीआईएस/ एगमार्क/ एचएसीसीपी/ आईएसओ/ जीएमपी/ जीएचपी/ एसक्यूएफ आदि)
3. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध। में प्रस्तुत किया जाना है।

अनुबंध – I

पिछले वर्ष के नारियल उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	निर्मित उत्पाद	स्थापित क्षमता (मेट्रिक टन में)	उत्पादित मात्रा (मेट्रिक टन में)	देशीय बिक्री (रुपए में)	निर्यात टर्नओवर (रुपए में)

हस्ताक्षर

नाम:

स्थान:

पता:

दिनांक:

मोहर